संख्या-7/2017/1343(1)/60-1-17-1/13(62)/17

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 **लखनऊ:दिनांक 06 जून, 2017**

विषय-: विभागीय बाल गृहों/शिशु गृहों में निवासरत बच्चों का चिकित्सीय परीक्षण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि आपके जनपद में महिला कल्याण विभाग गृहों में संचालित गृहों में आवासित संवासियों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाना आवश्यक है, जिससे परीक्षण में प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर संबंधित संवासियों को यथोचित उपचार एवं दवाईयां समय से उपलब्ध करायी जा सकें।

2- अत: आपसे अनुरोध है कि जनपद में स्थित बाल गृह/शिशु गृह/वृद्ध आश्रमों/संरक्षण गृहों/सम्प्रक्षण गृहों में आवासित संवासियों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु उनका जिला चिकित्सालयों के चिक्तिसक के माध्यम से प्रत्येक माह परीक्षण कराना एवं परीक्षण के निष्कर्षो के आधार पर चिकित्सा एवं दवाईयों उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था कराने का कष्ट करें तथा प्रत्येक गृहों हेतु जनपद के बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी को नामित करने का कष्ट करें, जो सप्ताह में तीन दिन तथा कॉल पर सूचना प्राप्त होने की सिथति में संबंधित बाल गृह में चिकित्सा सुविधा पलब्ध करा सके यदि चिकित्सा परीक्षण में किसी संवासी की गंभीर बीमारियों संज्ञान में आती है तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- कृपया अपने स्तर से संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

¼रेणुका कुमार½
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यपर हस्ता इस :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1343(2)/60-1-17, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

2- समस्त मुख्य चिक्तिसा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

¼पंचम राम½

अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यपर हस्ता इस :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।